

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़ (छ.ग.)

☎ 07762-224426 (O), 07762-222178 (R), 07762-226047 (F) E-mail: dfo_raigarh@yahoo.co.in

क्रमांक/तक.अधि./
प्रति,

4277

/2020/रायगढ़, दिनांक 03-07-2020

Electrical Manager,
NAV DURGA FUEL (P) LTD,
Sai Sadan, Plot No. 91/10
Raigarh (C.G.)

विषय :-

Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Diversion of forest land for other forestry purpose under Forest Conservation Act, 1980 to set the proposed 132 KV DCDS Transmission Line of M/s. Nav Durga Fule (P) Ltd, Village- Saraipali District- Raigarh Chhattisgarh, area- 2.978 ha. regarding.

संदर्भ :-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) का पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विद्युत/479-184/1198 दिनांक 24.06.2020

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें जो आपको भी पृष्ठांकित है। पत्र में नव दुर्गा फ्यूल प्राईवेट लिमि. द्वारा 132 KV DCDS Transmission Line हेतु रायगढ़ जिले के रायगढ़ वनमण्डल अंतर्गत कुल क्षेत्र 2.978 हे., वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अन्तर्गत पंजीयन क्रमांक FP/CG/TRANS/44661/2020 दिनांक 29.06.2020 आबंटित किया गया है।

प्रकरण में पंजीयन हेतु आपके द्वारा जमा आनलाईन फार्म 'ए' की हस्ताक्षरित प्रति मय संलग्न मूल अभिलेख, के साथ वनमण्डल कार्यालय में निर्धारित 44 बिन्दुओं की नवीन चेकलिस्ट अनुसार प्रस्ताव तैयार कर कलेक्टर का वन अधिकार प्रमाण पत्र (Form-II), उपखण्ड स्तरीय कार्यवाही विवरण ग्राम सभा के साथ तथा वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. सर्वे कराकर के .kml File तैयार कर Shape File के साथ इस कार्यालय में प्रस्तुत करें, ताकि प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही किया जा सकें।


वनमण्डलाधिकारी,

रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़

पृ. क्रमांक/तक.अधि./

4278

/2020/रायगढ़, दिनांक

03-07-2020

प्रतिलिपि :-

1. उपवनमण्डलाधिकारी, रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
2. वन परिक्षेत्राधिकारी रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आप प्रकरण में आवेदक संस्थान द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध कराये गये क्षेत्र में वर्ष 2020-21 के अद्यतन दर राशि 726270/- प्रति हेक्टेयर अनुसार दस वर्षीय सिंचित वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना तथा प्रस्तावित क्षेत्र में प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना कर गणना पत्रक एवं समस्त अभिलेख इस कार्यालय में शीघ्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।


वनमण्डलाधिकारी,

रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़